



वादी कथना स्वयं वादी का गौर  
हाजिर होना दावे के प्रति वादी की  
उदासिनता को प्रकट करता है।

अतः दावा वकील  
वादी एवं स्वयं वादी की अनुपस्थिति  
के परिप्रेक्ष्य में एवं न्यायालयी आदेशों  
की पालना के अभाव में अदम हाजरी/  
अदम धरती तथा 0.9, R.S CPC के तहत  
खारिज की जाती है। पचावली के नल  
शुक्रार होडर नम्बर से इस ले तथा  
बाद तकमील दाखिल पत्र हो यह  
निर्णय आज दिनांक 08/12/2021 को मेरे  
द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा  
सहित खुले न्यायालय में

सुनाया गया।  
दिनांक  
(मुनेश कुमारी)  
RAS  
सहायक कलक्टर  
द्वितीय (सीकर)